



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना बढापुर

दिनांक 21.12.2024

थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 247/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में 02 वांछित अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त गाडी व पशु कटान के उपकरण सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 12.12.2024 को वादी श्री हेमराज पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम इस्माईलपुर दमी थाना बढापुर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि ग्राम इस्माईलपुर दमी में रेवडा नदी के पास 02 गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिले हैं । इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 247/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम अज्ञात पंजीकृत किया गया । अभियोग के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया ।



कार्यवाही -

थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर रोशनपुर फाटक पर सत्ती खेडा की ओर से आने वाले रास्ते पर भट्टे के पास से अभियुक्त शफीक पुत्र वहीद निवासी दौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को घटना में प्रयुक्त गाडी सं0 DL3CBD-2209 इनोवा कार रंग सिल्वर व पशु कटान के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया तथा मौके से अन्य अभियुक्तगण मौका पाकर फरार हो गये ।

अभियुक्त शरीफ उपरोक्त द्वारा अपने फरार साथियों का नाम 1- शब्बू पुत्र अनीश निवासी दौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद 2- रिहान पुत्र हसन निवासी ग्राम दौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद 3- अजीम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम सीकमपुर पाण्डे थाना मुढापांडे जनपद मुरादाबाद व 4- गुलाम मुस्तफा पुत्र नन्हें निवासी ग्राम गुलडिया थाना मुढापांडे जनपद मुरादाबाद 5- अतहर हाजी पुत्र तोयब निवासी ढकिया थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद बताया । फरार अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शफीक पुत्र वहीद निवासी दौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त –

- 1- मु0अ0सं0 229/17 धारा 429 भादवि थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 259/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशू क्रूरता अधि0 थाना भगतपुर मुरादाबाद।
- 3- मु0अ0सं0-65/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद ।
- 4- मु0अ0सं0 247/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशू क्रूरता अधि0 थाना बढापुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- श्री सुशील कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
3. मुख्य आरक्षी उमेश कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी जितेन्द्र थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
5. आरक्षी अरविन्द थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना स्योहारा

दिनांक 21.12.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 610/24 धारा 115(2)/109/3(5) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 20.07.2024 को वादी श्री अक्षय राठी पुत्र प्रमोद राठी निवासी मौजमपुर जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.फरजान शेख उर्फ अमन पुत्र फईमुद्दीन निवासी मौ0 पीर का बाजार कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2. अफान पुत्र तला निवासी मौ0 हयातनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा योजनानुसार वादी व वादी के दोस्त केशव के साथ लाठी डण्डे व धारदार हथियार के साथ मारपीट कर जाने से मारने की नियत से हमला किया। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 610/24 धारा 115(2)/109/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 21.12.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 610/24 धारा 115(2)/109/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.फरजान शेख उर्फ अमन पुत्र फईमुद्दीन निवासी मौ0 पीर का बाजार कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.अफान पुत्र तला निवासी मौ0 हयातनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

- 1.फरजान शेख उर्फ अमन पुत्र फईमुद्दीन निवासी मौ0 पीर का बाजार कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.अफान पुत्र तला निवासी मौ0 हयातनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 2—उ0नि0 असकर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 3—मुख्य आरक्षी 689 पुष्पेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 4—आरक्षी 1229 विवेक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।